भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †2087
दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लिए

नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों का संचालन

†2087.डॉ. मोहम्मद जावेद:
डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह देखते हुए कि वर्ष 2015 से नीलाम किए गए 404 ब्लॉकों में से केवल 50 ही वर्तमान में संचालन में हैं, नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के संचालन में अत्यधिक देरी के क्या कारण हैं;
(ख) शेष ब्लॉकों के संचालन में तेजी लाने के लिए नवस्थापित परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है और अंतर-मंत्रालयी और राज्य-स्तरीय बाधाओं को दूर करने में इसकी अपेक्षित भूमिका क्या होगी;
(ग) नीलाम की गई खदानों के संचालन के लिए आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं;
(घ) क्या सरकार अनुमोदन को सरल बनाने के लिए विधायी सुधार शुरू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) विशेष रूप से स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता (ओजीपी) क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण में निवेश बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है और अन्वेषण लाइसेंस (ईएल) व्यवस्था के तहत अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और
(च) क्या सरकार नीलाम किए गए ब्लॉकों की समन्वित निगरानी और तेजी से विकसित करने के लिए नीलामी के बाद की खनन मंजूरी और अनुमोदन सुविधा (पीएएमसीएएफ) को पुनर्जीवित करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) आज तक, नीलाम की गई 457 खानों में से 56 खानें प्रचालनरत हैं। प्रचालन में लगने वाला समय, खनन ब्लॉक की नीलामी के बाद आवश्यक विभिन्न मंजूरियाँ प्राप्त करने पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) नव स्थापित परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) अनुमोदन को सुव्यवस्थित करके, प्रगति पर नज़र रखकर और विभिन्न एजेंसियों से मंजूरी प्राप्त करने में बोलीदाताओं की सहायता करके खनिज ब्लॉकों के प्रचालन में तेजी लाने में मंत्रालय की सहायता करती है। इसमें शामिल हैं:

(i) मंजूरियों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए सभी नीलाम ब्लॉकों का आधारभूत अध्ययन करना।

(ii) अनुमोदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और लंबित अनुमोदनों का विस्तृत रिकॉर्ड रख-रखाव करने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य नियामक प्राधिकरणों के साथ संपर्क करना।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) केंद्र सरकार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) के माध्यम से विशेष रूप से स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता (ओजीपी) क्षेत्र में खनिज गवेषण में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है।

• जीएसआई ने गहराई में स्थित और छिपे हुए निक्षेपों पर केंद्रित होकर राष्ट्रीय हवाई-भू-भौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनएजीएमपी), उन्नत समय डोमेन विद्युत चुंबकीय (टीडीईएम), चुंबकीय हेलीबोर्न सर्वेक्षण, और खनिज संभावना मानचित्रण (एमपीएम) आदि जैसी उन्नत प्रौद्योगिकीयों का उपयोग करके खनिज गवेषण को बढ़ाया है।

• ओजीपी और गैर-ओजीपी दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए खनिज गवेषण कार्यक्रम वर्ष 2020-21 में 251 से बढ़कर 2024-25 में 438 हो गए हैं। वर्ष 2015 और 2023 में एमएमडीआर अधिनियम में संशोधनों के बाद से, जीएसआई ने 307 संसाधन युक्त जी2/जी3 रिपोर्ट और 343 भूवैज्ञानिक ज्ञापन सौंपे हैं।

• एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 में मान्यता प्राप्त निजी गवेषण एजेंसियों को अधिसूचित करने का प्रावधान किया है ताकि वे बिना पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के गवेषण कर सकें और एनएमईटी के तहत वित्त पोषण प्राप्त कर सकें।

• 28 फरवरी 2025 तक की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय ने एनएमईटी के माध्यम से 430 खनिज गवेषण परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 238 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं।

• एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के बाद गवेषण अनुज्ञप्ति (ईएल) व्यवस्था के अंतर्गत, जीएसआई ने खान मंत्रालय को 34 ईएल ब्लॉक प्रस्तुत किए हैं।

(च) नव स्थापित पीएमयू के मद्देनजर, नीलामी के बाद खनन मंजूरियों और अनुमोदन सुविधा (पीएएमसीएएफ) को पुनः प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

*****